भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3174

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015 को दिया गया)

<u>कंपनी अधिनियम का गैर-अनुपालन</u>

3174. श्रीमती मीनाक्षी लेखी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भाग लेने वाली टीमों के मालिकों द्वारा कथित रूप से कंपनी अधिनियम के गैर-अनुपालन और अनियमितताओं की शिकायतों को संज्ञान में लिया है/इस संबंध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच करवाई है/कराने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं और इस जांच की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ): कंपनी रजिस्ट्रारों (आरओसी) को वर्ष 2010 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 234 के अधीन दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए गए थे। कंपनी रजिस्ट्रारों ने उनके कार्यक्षेत्र में स्थित कंपनियों के दस्तावेजों की जांच की थी और अनुलग्नक में दिए गए ब्यौरे के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के कुछ मामलों में कतिपय उल्लंघन पाए गए थे।

कंपनी रजिस्ट्रार, मुम्बई को इंडियाविन स्पोर्ट्स प्रा. लि. के विरूद्ध सदस्यों के रजिस्टर और वार्षिक विवरणी की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में दिनांक 16.06.2015 को एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच कानून के उपबंधों के अनुसार की जानी है।

*****

कंपनी अधिनियम के गैर-अनुपालन के संबंध में श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2015 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3174 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	आपीएल टीम के मालिक का नाम	कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का उल्लंघन	अप्रैल, 2010 में आदेश दिए गए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 234 के तहत दस्तावेजों की जांच की स्थिति
1	इंडियाविन स्पोर्ट्स प्रा. लि.	23	पूर्ववर्ती नाम अर्थात् राठीप्रिय ट्रेडिंग प्रा. लि. के नाम से दिनांक 10.04.2008 को फ्रेंचाईजी समझौता पर हस्ताक्षर करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 23 के गैर-अनुपालन के लिए कंपनी को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी।
2	रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्रा. लि.		कंपनी अधिनियम, 1956 का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया था।
3	डेक्कन चार्जर्स स्पोर्टिंग लि.		डेक्कन चार्जर्स आईपीएल टीम का प्रारंभिक स्वामित्व डेक्कन चार्जर्स स्पोर्टिंग वेंचर्स लि. के पास था जो कि डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लि. की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी थी। डेक्कन चार्जर्स स्पोर्टिंग वेंचर्स लि. के तुलन-पत्र की जांच करने पर कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।
4	इंडिया सीमेंट लि.	217(2क)	कंपनी के तुलन-पत्र की जांच करने पर निदेशक की रिपोर्ट में कर्मचारियों के ब्यौरे नहीं देने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) का उल्लंघन पाया गया और कंपनी को चेतावनी दी गई। इसके पश्चात्, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के तहत इंडिया सीमेंट लि. के लेखाबहियों की जांच की गई थी। जांच प्रतिवेदन विचाराधीन है।

5	जीएमआर स्पोर्ट्स प्रा.लि.		कंपनी रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन विचाराधीन है।
6	केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्रा.लि.	159, 220	वर्ष 2008-09 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक विवरणी दायर नहीं करने हेतु अभियोजन दायर किए गए थे और कंपनी विधि बोर्ड के दिनांक 11.05.2011 के आदेश द्वारा अपराधों का शमन हो गया है।
7	नाईटरायडर्स स्पोर्ट्स प्रा.लि.	383क और 211	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 383क और 211 के उल्लंघन के लिए अभियोजन दायर किया गया था। कंपनी विधि बोर्ड द्वारा उक्त अपराधों का शमन किया गया था।
8	जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्रा.लि.	297, 301	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 297 और 301 के उल्लंघन के लिए अभियोजन दायर किए गए थे। कंपनी ने उक्त उल्लंघनों के लिए प्रशमन आवेदन दायर किया है।
9	सहारा एडवेंचर स्पोर्ट्स लि.		कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।

*****